न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1–हरिसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली 2–महावीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत हाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली	बनाम	1.उगमकुंवर पत्नी वचनसिंह जाति राजपूत निवासी बडगावं 2.गणेशाराम पुत्र सोमा जाति कीर निवासी कानाकोलर 3.हंसाराम पुत्र किशना जाति कीर निवासी कानाकोलर 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री मोहब्बतसिंह देवडा		**विद्वान अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव** अप्रार्थी सं0 3 **विद्वान अधिवक्ता श्री यासीन सिलावट** अप्रार्थी सं0 1

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 92/2023

–:: <u>आदेश</u> ::– **दिनांक 03.12.2024**

प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.10.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की राजस्व भूमि मौजा नवावास पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नं0 186/71, 3/72, 4/81, 4/82, 4/83 रकबा 3.2618 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। उपरोक्त राजस्व आराजी में फसलों के रख–रखाव हेतु मेड़बंदी, बाड़ व तारबंदी का अभाव है तथा जंगली सुअरों, नीलगायों वगैरह से फसलों के रख–रखाव हेतु तारबंदी की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थी सं0 3 रोक–टोक कर तारबंदी नहीं करने दे रहे हैं तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। अप्रार्थी सं0 3 व अन्य को प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से पर मेड़बंदी, तारबंदी करने से रोके जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नं0 के राजस्व आराजी के चारों तरफ के सीमा चिन्हों पर उनके हिस्से अनुसार नाप करवाकर तारबंदी/मेड़बंदी करने के आदेश प्रदान कर राजस्व रेकर्ड/मानचित्र तथा फिल्ड बुक का संधारण करने के आदेश अप्रार्थी सं0 4 तहसीलदार शिवगंज को प्रदान करावें तथा मौके पर राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में तारबंदी/मेड़बंदी सीमा चिन्हों पर करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति व सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी सं0 3 की और से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 28.11.2023 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 02.02.2024 को अप्रार्थी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री यासीन सिलावट ने वकालतनामा व एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया। दिनांक 22.05.2024 को अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने नो इंस्ट्रक्सन पेश किया। व अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर प्रार्थी अधिवक्ता ने सहमति प्रदान की जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर जवाब पेश करने हेतु समय दिया गया। दिनांक 16.07.2024 को अप्रार्थी सं0 1 व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने व कई अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 4 स्टेट को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 03.12.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में गजा बनाम केवा 2021 (2)आर.आर.टी., पेज–125, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की। इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

लगातार पेज –02

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं0 92/2023
हरिसिंह व अन्य बनाम उगमकुंवर व अन्य
अंतर्गत धारा 111, 128 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हमनें विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा नवावास पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खरारा नं0 186/71, 3/72, 4/81, 4/82, 4/83 कुल किता 5 कुल रकबा 3.2618 हैक्टेयर भूमि व सलंग्न दस्तावेजो तथा वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस पर गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 111, 128 व 131 भू–राजरव अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा नवावास प्टवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नं0 186/71, 3/72, 4/81, 4/82, 4/83 कुल किता 5 कुल रकबा 3.2618 हैक्टेयर भूमि में सहखातेदारों द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावे। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/– रूपये (एक हजार) मात्र निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। साथ ही प्रार्थीगण के हिस्से अनुसार नाप करवाकर तारबंदी/मेडबंदी करवाकर राजस्व रेकर्ड/मानचित्र तथा फिल्डबुक का संधारण कर सीमा चिन्ह अंकित करे। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज.)

क्रमांक/कोर्ट/2024/
दिनांक 03.12.2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:22:49 IST
Reason: SelfAttested